कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 38196 /दस–लाइसेंस–97–बी/है0प्रमाण पत्र/2017–18 दिनांक जनवरी 31 2018

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप्स एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2018–19 के लिये व्यवस्थापन आगामी माह में किया जायेगा। अतः दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन पत्र में अपनी चल सम्पत्ति के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति का विवरण अवश्य दें। सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं उस पर ऋण भार यदि कोई हो तो उसका पूरा विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। पुरूष अपनी चल सम्पत्ति में आभूषणों का उल्लेख न करें, क्योंकि वह स्त्री धन होता है। सम्पत्ति में चल सम्पत्ति का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। आवेदक द्वारा उसकी बैंक व डाक घर की सावधि जमा रसीद व राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि मूल्यवान जमा रसीदों अथवा अन्य चल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी के पक्ष में प्रतिश्रुत करने की दशा में उसकी पूरी राशि को शोधन क्षमता के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने निवास स्थान का पूरा पता अंकित किया जायेगा। नगर क्षेत्र का निवासी होने पर मकान नम्बर, मोहल्ला तथा नगर का नाम एवं ग्राम का निवासी होने पर ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील एवं जनपद का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

(अ) कृषि भूमि व बाग– उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम–4 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार।

(ब) मकान– निर्धारित वार्षिक भवन कर या वास्तविक वार्षिक किराया या अनुमानित वार्षिक किराया का 25 गुना और भवन से सम्बद्ध भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर पर या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाय।

हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक जनपद के जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर सकते है।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner

दर में उनके द्वारा दी गई राशि को शोधन क्षमता के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है।

7— अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाय :—

(अ) कृषि भूमि व बाग— उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम—4 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार।

(ब) मकान— निर्धारित वार्षिक भवन कर या वास्तविक वार्षिक किराया या अनुमानित वार्षिक किराया का 25 गुना और भवन से सम्बद्ध भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर पर या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाय।

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी हैसियत प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने से पूर्व उसमें दिखायी गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन का आधार एवं स्वामित्व के प्रमाण स्वयं भी देख लें तथा सन्तुष्ट हो जाने के बाद ही प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करें। प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे हैसियत प्रमाण पत्र में इस आशय की टिप्पणी अंकित करें कि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली है कि हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति आवेदक के नाम है।

8— जारी किये गये समस्त हैसियत प्रमाण पत्रों का रिकार्ड एक रजिस्टर में तहसीलदार निम्न प्रारूप में रखा जायेगा:—

क्र0 सं0	प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पिता का नाम	पूरा पता	जारी किये गये हैसियत प्रमाण पत्र का दिनांक	जारी किये गये हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि	अभ्युक्ति

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों से सभी तहसीलदारों/राजस्व अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय और यदि आवश्यक समझे तो अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) या इस स्तर के अन्य अधिकारी को हैसियत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्राधिकृत करने पर भी विचार करने का कष्ट करें। प्रकरण राजस्व से सम्बन्धित है। अस्तु शीर्ष प्राथमिकता व व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 33766 – 34195 /दस–लाइसेंस–97/बी–29/है0प्रमाण पत्र/2017–18/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
2— समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त जिला आबकारी अधिकारी, जनपद उ0प्र0।
5— समस्त आबकारी निरीक्षक, निरोधक क्षेत्र, उ0प्र0।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

9२

38196–

Scanned by CamScanner